डेढ़ किमी दूर सत्तीघाट में हुई। मृतका के शरीर के कई हिस्सों पर जख्म हैं। हत्या के बाद से आरोपी पति फरार है। मृतका जहाना खातून (32 वर्ष) कुछ समय से मायके में ही रह रही थी।

आरोप है कि पति मो. गुलाम अंसारी ने वहीं आकर वारदात को अंजाम दिया। मृतका के चेहरे, आंख, हथेली, पैर, बांह व सीने के पास भी गंभीर वार किए गए हैं। हमलावर ने नाक काट दी और एक आंख भी फोड़ दी। एसडीपीओ राजेश कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है।

धमौन गांव निवासी युवक रणधीर कुमार राय के रूप में हुई।

सरस्वती पूजा पर लोदीपुर पोखर के पास मेला लगा हुआ था। इसी में रणधीर कुमार राय का विवाद कुछ युवकों से हुआ था। स्थानीय लोगों ने सभी युवकों को शांत कराकर मेला से भेज दिया। कुछ देर बाद ही रणधीर की हत्या की बात सामने आई।

पर्यटन विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने मत्स्यगंधा झील और आसपास के क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। अब विशेषज्ञों की टीम इसके लिए डीपीआर तैयार करेगी।

गोलाकार ग्लास ब्रिज, संगीतमय फव्वारा सहित 22 आकर्षक संरचनाओं के निर्माण के लिए पर्यटन विभाग के विशेषज्ञों की टीम ने झील

कार्यालय माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
ननूरखेड़ा, देहरादून

विज्ञप्ति संख्याः पा०पु०/7 ख (3)/01/ 2024-25 दिनांकः 03 फरवरी 2025

-: ई-निविदा-कागज सहित मुद्रण :-

शिक्षा सत्र 2025-26 के लिए राज्य के राजकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा I से XII तक अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं के लिए NCERT/ SCERT द्वारा विकसित/ संचालित (हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम) की पाठ्य पुस्तकें (निःशुल्क एवं सशुल्क) कागज सहित मुद्रित कर सभी 13 जनपद मुख्यालय तक FOR Destination सहित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु दिनांक 04 फरवरी 2025 से आनलाईन निविदा (कक्षा 1 से 8 एवं 9 से 12 अलग- अलग) आमंत्रित की जाती है। निविदा के विस्तृत नियम/ निर्देश/ शर्तें एवं आवेदन-पत्र www.uk-tenders.gov.in से Download कर सकते है।

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड,
ननूखेड़ा, देहरादून।

अपर थानाध्यक्ष निलंबित किए गए

नवादा। एसपी अभिनव धीमान ने वारिसलीगंज थाने के अपर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार को निलंबित कर दिया है। सब इंस्पेक्टर सुभाष कुमार पर एक जनप्रतिनिधि से दुर्व्यवहार करने का आरोप था। घटना से संबंधित एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। जिसमें अपर थानाध्यक्ष द्वारा थाने पर आये वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के मकनपुर पैक्स के पैक्स अध्यक्ष सुरेन्द्र यादव से दुर्व्यवहार किया जा रहा था।

युवक की पिटा 5 पुलिसकर्मी

मधुबनी, विधि संवाददाता। वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार युवक को बेरहमी से पीटने में पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि बेनीपट्टी थानाध्यक्ष का तबादला कर दिया गया। मामले में पीड़ित से मिलने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सोमवार शाम बेनीपट्टी के कटैया गांव पहुंचे। एसपी ने इस संबंध में कार्रवाई का आदेश रविवार देर रात जारी किया गया है।

मधुबनी एसपी योगेंद्र कुमार ने कहा कि जख्मी से पूछताछ और रिपोर्ट के आधार पर बेनीपट्टी थाना के ओडी आफिसर सहायक सब इंस्पेक्टर मुकेश कुमार, हवलदार रंजीत कुमार, सिपाही विक्रम कुमार, चौकीदार सुरेश पासवान व सुरदीप मंडल को तत्काल प्रभाव से निलंबित

Office Of The Principal District & Sessions Judge, Purnea

Tender Notice No. 03/2025

Sealed quotations are invited from the interested parties for providing housekeeping and cleaning services to the Civil Court, Purnea, Quotations, along with other documents, as indicated in annexure to the notice, may be submitted in a sealed envelope addressed to the Principal District and Sessions Judge, Purnea only during office hours, up to 5:00 PM on or before 02 March at the Nazarat of Civil Court, Purnea.

Last Date and Time of Receipt of Bids	On or before 02 March till 5.00 PM
Place of submission of Bids	Nazarat, Civil Court, Purnea
Date/Time/Place of Opening of Bids	03 March in presence of the committee.

https://purnea.dcourts.gov.in/

Principal District & Sessions Judge, Purnea
Date: 30.01.2025

तारापु... ट्रक ने रौंदा, ...

भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
पूर्व-सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना
स्टेशन मुख्यालय, (ईसीएचएस सेल), गया–823005, फोन : 0631–2950882, ई–मेल : shqgaya@echs.gov.in

रोजगार सूचना

1.ईसीएचएस द्वारा गया, भागलपुर और खगड़िया में ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक्स (पीसी) में एक वर्ष की अवधि (वित्तीय वर्ष 2025–26 के दौरान) के लिए, जिसे आवश्यकता और उम्मीदवारों की पात्रता और कार्यप्रदर्शन स्तर को पूरा करने के अधीन एक और वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है, अनुबंध के आधार पर निम्नलिखित स्टाफ की नियुक्ति हेतु सूचीबद्ध करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं :–

आवश्यकताएँ	पात्रता	अपेक्षित मैनपावर की सं.	निश्चित मासिक पारिश्रमिक
कार्यालय प्रभारी पॉलीक्लिनिक	केवल भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायु सेना के सेवानिवृत्त सेवा अधिकारी और सीडीए के माध्यम से रक्षा अनुमान से पेंशन प्राप्त करते हों।	01 खगड़िया पॉलीक्लिनिक के लिए	रू. 75,000/–
लैब सहायक	डीएमएलटी/क्लास 1 चिकित्सा टेक्निकल कोर्स (आर्म्ड फोर्सेस)	01 गया के लिए ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक	रू. 28,100/–
चपरासी	8वीं क्लास या सशस्त्र बलों कि व्यक्तियों के लिए जीडी ट्रेड (कार्यालय सहायक में दक्ष व्यक्तियों की वरीयता दी जाएगी)	02 (01 भागलपुर और 01 खगड़िया पॉलीक्लिनिक के लिए)	रू. 16,800/–

2. नियम व शर्तें आवेदन पत्र, पारिश्रमिक के लिए, कृपया ईसीएचएस को वेबसाइट www.echs.gov.in देखें। अधिक जानकारी के लिए, कृपया स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल), गया से टेलीफोन नं.–0631–2950882 पर प्रातः 09:30 बजे से 14:00 बजे के बीच और ईमेल आईडी shqgaya@ech.gov.in पर संपर्क करें। पूर्व–सैनिकों और सैन्य कर्मियों की विधवाओं को वरीयता दी जाएगी।

3. ईसीएचएस वेबसाइट पर दिए गए प्रारूप के अनुसार आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि। अपेक्षित प्रारूप के अनुसार आवेदन, शैक्षिक योग्यता और कार्य अनुभव के समर्थन में प्रमाण पत्रों की स्व–सत्यापित फोटोकॉपी के साथ 17 फरवरी 2025 को 17:00 बजे तक ओआईसी, स्टेशन मुख्यालय (ईसीएचएस सेल), गया को जमा किया जाना चाहिए। निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

4. साक्षात्कार की तिथि, समय और स्थान– अल्पसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवार (ई–मेल के माध्यम से सूचित) को 25 फरवरी 2025 को 10:00 बजे स्टेशन मुख्यालय, गया में 10:30 बजे से शुरू निर्धारित साक्षात्कार के लिए अवश्य पहुंचना चाहिए। उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय 10 वीं/मैट्रिक, 10+2 और स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/पाठ्यक्रम के सभी मूल प्रमाण पत्र/ अंकतालिका/डिग्री, कार्य अनुभव और डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, सेवा रिकॉर्ड और 02 X पीपी साइज के रंगीन फोटोग्राफ लाने होंगे। कोई टीए/डीए अनुमत्य नहीं है। केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं।

5. नियुक्ति प्राधिकारी विज्ञप्ति की जा रही आवश्यकता को बढ़ाने/घटाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

हिन्दुस्तान
www.livehindustan.com
अपना बि

party continues to rely heavily on their support but is not taking that for granted.

the Central and state govts in the social sector in the war room and gave instructions to speed up these schemes.

were being tapped and he suspected that Delhi's investigative agencies were monitoring his movements.

have reliable information... am raising this question. Something is going on...." TNN

...n 10% of base sale price: SC

...forfeiture of 20% was part of the agreement and there was nothing wrong to enforce it.

But the bench said that the apex court and NCDRC in many cases held that forfeiture of 10% is reasonable and above that amount should not be allowed. "Relying on the aforesaid observations of this Court, the NCDRC, in a series of cases right from the year 2015, has held that 10% of the BSP is a reasonable amount which is liable to be forfeited as earnest money. The NCDRC has initially taken this view in the case of DLF Ltd. v. Bhagwanti Narula. The said view has been followed subsequently in various judgments of the NCDRC. We see no reason to upset the view consistently taken by the NCDRC based on the judgment of this Court," the bench said.

It, however, set aside the direction of the NCDRC in awarding interest on the amount to be refunded to the buyer. In this case the buyer had booked a flat in the project "Godrej Summit" situated at Sector 104, Gurgaon, Haryana but he sought refund when the possession of the flat was given to him. NCDRC had allowed the company to deduct only 10% of the BSP i.e. Rs. 17.08 lakh only towards cancellation and refund the balance amount.

Chandrasekhar sues Tharoor for defamation

Times News Network

New Delhi: Former Union minister and BJP politician Rajeev Chandrasekhar moved the Delhi high court on Monday by way of a defamation suit against Congress MP Shashi Tharoor.

The HC issued summons to Tharoor and sought his response. "Let the plaint be registered as a suit. Issue summons to the defendant (Tharoor). List before the joint registrar on April 28," Justice Purushaindra Kumar Kaurav said.

In his suit, Chandrasekhar claimed Tharoor made false and defamatory statements at various public fora in the run-up to the general elections in April 2024 that severely damaged his professional and personal reputation. He alleged that Tharoor's remarks, made on national television, were intended to damage his reputation and influence the election results. These false allegations, which were widely broadcast on news channels and social media, played a key role in his loss during the Lok Sabha elections, the BJP politician contended.

GOVERNMENT OF INDIA, MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTORY HEALTH SCHEME
STATION HQ (ECHS CELL), GAYA-823005 PHONE : 0631-2950882,email : shqgaya@echs.gov.in

EMPLOYMENT NOTICE

1. ECHS invites applications to empanel for engagement of the following staff on contractual basis for ECHS Polyclinics(PC) at Gaya,Bhagalpur & Khagaria for a period of one year (during FY 2025-26), which may be renewed for period of another one year subject to the requirement and candidates meeting the eligibilty as well as performance level:-

Requirement	Eligibility	No.of Manpower Required	Fixed Monthly Remuneration
Office In-Charge Polyclinic	Only retired Service officers from Indian Army, Indian Navy & Indian Air Force and should be drawing pension from Defence Estimates through CDA	01 for Polyclinic Khagaria	Rs 75,000/-
Lab Assistant	DMLT/Class 1 Laboratory Tech Course(Armed Forces)	01 for ECHS Polyclinic Gaya	Rs 28,100/-
Peon	Class 8th or GD Trade for Armed Forces (Preference shall be given to individuals proficient in Office Assistance)	02 (01 for each Bhagalpur & Khagaria Polyclinics)	Rs 16,800/-

2.**For Terms & Conditions, Application form, Remuneration**. Kindly refer to the ECHS website www.echs.gov.in. For further information, please contact Station HQ (ECHS Cell), Gaya at Telephone No- 0631-2950882 between 0930hr to 1400hr & email ID shqgaya@echs.gov.in . Preference shall be given to the Ex-servicemen and widows of Service Personnel.

3.**Last date of receipt of application as per format given at ECHS website.** Application as per requisite format alongwith self attested photocopies of testimonials in support of Educational Qualifications and Work Experiences shall be submitted to OIC, Station HQ (ECHS Cell), Gaya by **17 Feb 2025** by 1700hrs. Any application received after the stipulated date & time shall not be considered.

4.**Interview Date, Timing & Venue** Shortlisted Candidate(intimated through e-mail) must reach **Station HQ, Gaya** at 1000hrs on 25 Feb 2025 for the interview scheduled from 1030 hrs onwards. Candidates shall bring all the original certificates/mark sheets/degree of 10th/Matric, 10+2 & Graduation/Post Graduation/diploma/course, work experience and discharge book, PPO, Service Records and 02 x PP size colour photographs at the time of interview. No TA/DA is admissible. Only candidate meeting the Eligibility Criteria may apply.

5.Appointing auth reserves right to increase/decrease the requirement being advertised.